कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर

कमांक :–शिविरा–माध्य / साप्र / रासेयो / विशेष शिविर / 11–12 से 17–18 / 18–19 दिनांकः–19/12/18

समस्त उपनिदेशक,
माध्यमिक शिक्षा

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय
(माध्यमिक शिक्षा)

विषयः–राष्ट्रीय सेवा योजना प्लस दो स्तर के अन्तर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर दिनांक 01.01.2019 से 07.01.2019 तक आयोजित करने के संबंध में।

राष्ट्रीय सेवा योजना प्लस दो स्तर पर चयनित सी.मा. विद्यालयों द्वारा "सात दिवसीय विशेष शिविर" दिनांक 01.01.2019 से 07.01.2019 तक की अवधि में आयोजित किये जावेंगे। उक्त शिविर के आयोजन हेतु पूर्व में समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। सक्षम स्तर पर निरीक्षण हेतु प्रपत्रों के प्रारुप भी जारी किये गये हैं। इस संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. भारत सरकार द्वारा विशेष शिविर आयोजित करने के संबंध में "निम्न विषयों" में से किसी एक विषय पर विशेष शिविर आयोजित किया जावे। विशेष शिविर के अन्तर्गत "थीम" बिन्दू नीचे अंकित किये जा रहे हैं :–
   1- Environment including preservation of natural resources and conservation of cultural/historical heritage.Health public sanitation and personal hygiene.
   2- Rural development including project identification, programme formulation, implementation and evaluation,
   3- Education and literacy including legal awareness, and
   4- Emergency interventions including trauma care, initial counseling and data collection.
2. 'स्वच्छ भारत अभियान' की मूल भावना के अनुसार स्वच्छता एवं स्वच्छता के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए शिविर में विशेष प्रयास किये जावें।
3. संस्था प्रधान अपने स्तर पर एनएसएस कार्यक्रम एवं विशेष शिविर का संचालन बंद नहीं करें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) एवं उप निदेशक (मा.) अनिवार्य रुप से शिविरों का निरीक्षण कर निर्धारित संलग्न प्रारुप में 14 जनवरी तक अनिवार्य रुप से जरिये ईमेल (दो प्रति .pdf & .exl format में nss.schooleducation@gmail.com, nssrajasthan@gmail.com, slonssrajasthan@gmail.com तीनों ईमेल एकाउन्ट) सूचना उपलब्ध करावें।
5. चयनित सीउमावि द्वारा "विशेष शिविर" भारत सरकार की निर्देशिका के अनुसार लगाने की कार्यवाही की जावे। विभाग द्वारा समय–2 पर विशेष शिविर आयोजित करने के संबंध में गत सत्रों में पत्र भिजवाये गये। इस कार्यालय द्वारा गत वर्षो में संक्षिप्त निर्देशिका की प्रति एवं दिशा निर्देश आपको भिजवाये गये थे। विशेष शिविर आयोजित करने के संबंध में पुनः दिशा निर्देश की प्रति संलग्न करके भिजवायी जा रही है।

19.12.18

(घीसा लाल शर्मा)
उपनिदेशक (प्रशासन) एवं कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना 2 स्तर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस, भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना, बी–7, देव नगर, टोंक रोड़, जयपुर 3202018
2. राज्य संपर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

19.12.18

(घीसा लाल शर्मा)
कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना + 2 स्तर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

D:\nss\2018-19\Special camp 2018-19.docx

C:\Users\Dell\Desktop\nss.docx

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर

विशेष शिविर आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश

1. चयनित सीउमा विद्यालयों में विशेष शिविर निर्धारित अवधि के दौरान लगाये जावें।
2. सभी चयनित सीउमा विद्यालयों द्वारा शाला स्तर पर गठित परामर्श–दात्री समिति द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर की योजना बनाकर कार्यवाही की जावे।
3. सभी चयनित सीउमा विद्यालयों द्वारा विशेष शिविर आयोजित करने के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रति–दिन प्रेस नोट जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. सभी चयनित सीउमा विद्यालयों द्वारा जिले में जिला कलक्टर/ उप खंड अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी/ उप निदेशक (माध्यमिक)/राज्य संपर्क अधिकारी शिक्षा (ग्रुप–4अ) विभाग, जयपुर / सहायक कार्यक्रम सलाहकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, एसबी–12, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर / कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को विशेष शिविर आयोजित करने के स्थान की जानकारी तत्काल भिजवावें ताकि सभी अधिकारियों द्वारा शिविर स्थल का निरीक्षण किया जा सके। विभाग के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी करवाई जावे।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)/ अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक)/ संस्था प्रधान द्वारा विशेष शिविर के दौरान निरीक्षण कार्य की योजना बनाकर कार्यवाही की जावे। जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत चयनित सी0मा0 विद्यालय द्वारा आयोजित शिविर का स्वयं विवेकपूर्ण निर्णय लेकर निरीक्षण कार्य की योजना बनाकर निरीक्षण कार्य करेंगे। जहॉ संस्थाप्रधान का पद रिक्त है उन विद्यालयों में जिला कार्यक्रम समन्व्यक एवं अति0 जिशिअ रासेयो के द्वारा जिले के चयनित सी0मा0 विद्यालयों के द्वारा विशेष शिविर आयोजित किये जाने पर उन स्थानों का निरीक्षण कार्य करने की कार्यवाही करेंगे।
6. विशेष शिविर आयोजित करने की "थीम" के अन्तगर्त दिये गये विषय में से किसी एक विषय का चयन करके उस बिन्दु पर कार्यक्रम आयोजित करके शिविर लगाया जावे। शाला स्तर पर परामर्शदात्री समिति में निर्णय लिया जावे तथा कार्यवाही शुरू की जावे।
7. विशेष शिविर आयोजित करने पर सभी कार्यक्रम अधिकारी शिविर का उद्घाटन एवं समापन के दौरान कम से कम 10–10 फोटो अवश्य खिचावें। सभी कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा शिविर स्थल पर स्थानीय पत्रकारों को भी प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रेस–नोट द्वारा भिजवाई जावे। प्रेस–नोट के साथ स्थानीय पत्र–पत्रिकाओं में फोटो को भी प्रकाशित करवाने की कार्यवाही अपने विवेक पूर्ण निर्णय लेकर करवाई जावे।
8. विशेष शिविर में भाग लेने वाले संभागियों की पूर्ण सूचनायें कार्यक्रम अधिकारी रखेंगे तथा सभी संभागियों को विशेष शिविर में दल बनाकर उनके द्वारा गोद ली गई बस्ती में कार्यवाही करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वंय सेवकों पर पूर्ण निगरानी रखेंगे। स्वयं सेवकों द्वारा किये गये कार्यो का मूल्यांकन किया जावेगा। शिविर के दौरान स्वयं सेवकों द्वारा रचनात्मक कार्य के साथ–साथ उनके मनोरंजन के लिए प्रतिदिन अन्य कार्यक्रम भी निर्धारित किये जावें। स्थानीय परिक्षेत्रों में भ्रमणशील कार्यक्रम/ नृत्य–संगीत/ इन्डोर खेलकूद कार्यक्रम/ प्रशिक्षण/विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा उनको प्रशिक्षण / स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभिन्न चिकित्सा अधिकारियों द्वारा स्वयं सेवकों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जानकारी उपलब्ध करावें। वृक्षारोपण कार्यक्रम /रक्तदान/एड्स/ डेंगू/ स्वाईनफ्ल्यू/ साक्षरता कार्यक्रम/ खेती/ पशुपालन/ रोजगार से संबंधित योजनायें/ नरेगा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी/ मतदाता जागरूक कार्यक्रम/ सूचना के अधिकार के संबंध में जानकारी/ कानून के अन्तर्गत पुलिस विभाग से संबंधित जानकारी व अपराधों के रोकथाम संबंधी जानकारी आदि भी स्वयं सेवकों को दिलवावें।

9. स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से निशुल्क दन्त शिविर, नेत्र शिविर, चर्म रोग संबंधी बीमारियों आदि के बारे में स्वयं सेवकों को जानकारी दिलवावें। इसके अतिरिक्त योग एवं ध्यान प्रशिक्षण, शारीरिक व्यायाम, प्राथमिक उपचार के बारे में भी जानकारी दिलवावें।

10. मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाये जा रहे जल संरक्षण संबंधी योजना के बारे में स्वंय सेवकों को विशेष जानकारी उपलब्ध करायी जावें ताकि वे इसका प्रचार–प्रसार कर लोगो को जागरूक कर सकें। इसके अतिरिक्त केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम रेडियो/ दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किये जा रहे हैं उनकी भी संपूर्ण जानकारी गोद ली गयी बस्ती के लोगो को दी जावे ताकि विशेष शिविर के दौरान अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल सके।

11. उक्त समस्त बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए शाला में कार्यरत संस्थाप्रधान एवं कार्यक्रम अधिकारी व जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–I) एवं जिला कार्यक्रम समन्व्यक रासेयो एवं अति0 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विवेक पूर्ण निर्णय लेकर विशेष शिविरें अयोजित करने की संपूर्ण कार्यवाही करेंगे।

19.12.18

(घीसा लाल शर्मा)
उपनिदेशक (प्रशासन) एवं कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना 2 स्तर
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

विद्यालय विजिट प्रारुप
अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना अन्तर्गत 07 दिवसीय विशेष शिविर के निरीक्षण/विजिट रिपोर्ट का प्रपत्र

1 कार्यालय/संस्था का नाम मय स्थान :

2 निरीक्षणकर्ता का नाम मय पदनाम :

3 निरीक्षणकर्ता का टेलीफोन /मो.नम्बर :

4 निरीक्षण/विजिट की तिथि (प्रत्येक दिवस की अगल–अलग)रिपोर्ट भेजें :

5 विशेष शिविर आयोजित किया है उसके विषय की थीम :

6 कार्यक्रम अधिकारी का नाम व पद तथा स्थान :

7 कार्यक्रम अधिकारी का टेलीफोन/ मो. नम्बर :

8 शिविर के दौरान गोद ली गई बस्ती/ मोहल्ले व स्थान का नाम :

9 शिविर के दौरान स्वयंसेवकों के रात्रि विश्राम का स्थान :

10 सत्र 2018–19 चयनित सीमावि में रासेयो के अन्तर्गत स्वयं सेवकों के नामांकन की संख्या :

सामान्य वर्ग	ओबीसी	एस.सी.	एस.टी.	विकलांग	अल्पसंख्यक	कुल

11. विशेष शिविर में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की संख्या :

सामान्य वर्ग	ओबीसी	एस.सी.	एस.टी.	विकलांग	अल्पसंख्यक	कुल

12. राष्ट्रीय सेवा योजना, प्लस दो स्तर में सत्र 2018–19 में स्वयंसेवकों का कुल नामांकन :

कक्षा–11		कक्षा–12		कुल	
छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा

13. चयनित सीमावि में कक्षा–11 वी व 12वीं में समस्त संकायों में विद्यालयों का कुल नामकंन की संख्या

छात्र	छात्रा	योग

14. कैम्प के दौरान किये गये विशेष कार्य : ....

15. निरीक्षणकर्ता की राय/ टिप्पणी : ....

निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर मय सील व नाम
एवं मोबाईल नम्बर

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उपनिदेशक कार्यालय को तथा उपनिदेशक कार्यालय द्वारा निदेशालय को भिजवाई जाने वाली सूचनाओं के प्रपत्र

प्रपत्र – 1

1. जिले में चयनित सी.मा.विद्यालयों द्वारा आयोजित किये गये विशेष शिविर की सूचनाएं

कसं	चयनित सी.मा.वि. का नाम	विशेष शिविर में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों की संख्या	आयोजित कैम्प की अवधि	कैम्प स्थल का नाम व पता	यदि कैम्प आयोजित नहीं किया है तो कारण
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र – 2

2. जिले में चयनित सी.मा. विद्यालयों द्वारा विशेष शिविर आयोजित नहीं करने वाले विद्यालयों की सूचनाएं।

कसं	चयनित सी.मा.वि. का नाम	कार्यक्रम अधिकारी का			कार्यक्रम अधिकारी का		
		नाम	पद	मोबाईल नंबर	नम	पद	मोबाईल नंबर

प्रपत्र – 3

3. विशेष शिविर अवधि के दौरान किये गये निरीक्षणों की संख्याः–

(A) उप निदेशक, (माध्यमिक)	————————
(B) जिशिअ, (माध्यमिक–I, II)	————————
(C) अति. जिशिअ, (माध्यमिक) प्रथम,	————————
(D) संस्थाप्रधान द्वारा किये गये निरीक्षणों की सख्या,	————————

प्रपत्र – 4

4. जिले में रासेयो चयनित विद्यालय की विद्यार्थी संख्या की स्थिति

वि. का नाम	कक्षा – 11							**कक्षा – 12**							**कक्षा– 11 व 12 के कुल**		
	सामान्य वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	ओ. बी. सी.	विकलांग	अल्प संख्यक	कुल	सामान्य वर्ग	**अनु. जाति**	अनु. जन जाति	ओ. बी. सी.	विकलांग	अल्प संख्यक	कुल	छात्र	छात्रा	योग

प्रपत्र – 5

5. जिले में रासेयो चयनित विद्यालय में विशेष शिविर अवधि के दौरान भाग लेने वाले स्वयं सेवकों की संख्या

चयतिन सी.मा. वि. का नाम	कक्षा – 11							**कक्षा – 12**							**कक्षा– 11 व 12 के कुल**		
	सामान्य वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	ओ. बी. सी.	विकलांग	अल्प संख्यक	कुल	सामान्य वर्ग	**अनु. जाति**	अनु. जन जाति	ओ. बी. सी.	विकलांग	अल्प संख्यक	कुल	छात्र	छात्रा	योग

प्रपत्र – 6

6. विद्यालयवार शिविर के निरीक्षण की स्थिति

चयतिन सी.मा. वि. का नाम	निरीक्षणकर्ता का नाम एवं पद	निरीक्षणकर्ता का टेलीफोन/मो. नंबर	निरीक्षण/विजिट की तिथी	विशेष शिविर की विषय थीम	गोद लिए बस्ती/मौहल्ले का नाम	स्वयंसेवकों के रात्रि विश्राम का स्थान	कैम्प की कोई खबर किसी दैनिक अखबार में लगी यदि हां तो किसमें व तारिख यदि नहीं तो क्यों	कैम्प की फोटो खिंचवाई गई यदि नही तो क्यों	
1	2	3	4	5	6	7			8

प्रपत्र – 7

7. बैंक खाते की स्थिति यथासंभव एसबीबीजे बैंक की ही देवें ताकि रुपयों का समायोजन में त्रुटी की संभावना से बचा जा सके।
(केवल उन्हीं विद्यालयों के जिनके द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया है)

क्रसं	चयनित सी.मा.वि. का नाम	बैंक का नाम जिसमें विद्यालय का खाता है	खाता संख्या	आईएफसी कोड संख्या	एसबीबीजे में खाता नहीं खोलने का कारण	विशेष शिविर का आयोजन किया गया हां/नहीं
1	2	3	4	5	6	7